



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

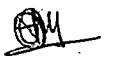
रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

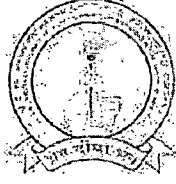
शुद्धिपत्र क्रमांक 01/03/2018, दिनांक 09.05.2018

सह प्राध्यापक की स्नातकोत्तर अर्हता के संबंध में

- 01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत डा. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महु हेतु विभिन्न विषयों के सह प्राध्यापकों (Associate Professors) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/2018, दिनांक 03.05.2018 आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 07.05.2018 के अंक में प्रकाशित किया गया है।
- 02 उक्त विज्ञापन में दर्शित शैक्षणिक अर्हता में स्नातकोत्तर परीक्षा 55 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होने का उल्लेख है। विज्ञापन में स्नातकोत्तर अर्हता के संबंध में निम्नानुसार छूट संयोजित की जाती है :-
- "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पृथक रूप से सक्षम (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर पर पृथक रूप से सक्षम) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (गैर समृद्ध श्रेणी) में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड के उद्देश्य से शैक्षित पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती के दौरान 5 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है। पात्रता संबंधी 55 प्रतिशत अंक (अथवा एक समस्तरीय ग्रेड एक पाइंट स्केल में जहां पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है) तथा उपरोक्त श्रेणियों को दी जाने वाली 5 प्रतिशत की छूट की अनुमति केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित, अनुग्रहांक सम्मिलित किए बिना होगी।"
- 03 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।


सचिव





Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences

(State University, Government of M.P.)

Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) - 453441, Indore (M.P.), India

Phone : (07324) 274377, Fax : (07324) 272350

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

क्रमांक-ब्राउस/स्था/भर्ती/लोसआ/2018/160
प्रति,

दिनांक : 08.05.2018

सचिव
म.प्र. लोक सेवा आयोग,
रेसीडेन्सी एरिया,
इन्दौर

विषय :- शैक्षिक पदों की भर्ती बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 07.05.2018 को मौखिक रूप से चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-

नवीनतम यूजीसी के राजपत्र प्रकाशित दिनांक 11 जुलाई 2016 में एवं म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-1-118/2012/38-1 भोपाल दिनांक 15.12.2017 के अनुसार शैक्षिक की सीधी भर्ती हेतु उल्लेखित प्रावधान निम्नांकित है।

बिन्दु क्रमांक 3.4.1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पृथक रूप से सक्षम (शारीरिक एवं बाक्षुष तौर से पृथक रूप से सक्षम) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (गैर समृद्ध श्रेणियों) में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड के उद्देश्य से शैक्षिक पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती के दौरान 5 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है। पात्रता संबंधी 55 प्रतिशत अंक (अथवा एक समस्तरीय ग्रेड एक पाइंट स्केल में जहां पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है) तथा उपरोक्त श्रेणियों के लिए दी जाने वाली 5 प्रतिशत की छूट की अनुमति केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित अनुग्रहोंक सम्मिलित किये बिना होगी।

उपरोक्तानुसार नवीनतम यूजीसी के राजपत्र प्रकाशन दिनांक 11 जुलाई के अनुरूप छूट विश्वविद्यालय द्वारा यथास्वरूप मान्य किया गया है। तदनुसार सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक पदों पर छूट हेतु प्रावधान रखा जाये।

(कुलपति द्वारा अनुमोदित)


(डॉ. एच.एस. त्रिपाठी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. डॉ. डी.पी.सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कुलपति के निज सहायक, ब्राउस की ओर सूचनाार्थ।


कुलसचिव